न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 133/2020

वाद दायरी दिनांक : 16/12/2020

निर्णय दिनांक : 24/02/2021

रघुनाथ पुत्र छीतर जाति जाट निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयुपर राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. नानूराम
2. सुखदेव
3. श्रवण

पुत्रान छीतर जातियान जाट निवासीगण खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

4. हरिराम पुत्र मोती जाति जाट निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयुपर राजस्थान।
5. सीताराम
6. रमेश

पुत्रान हरिराम जातियान जाट निवासीगण खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

7. श्रीमान तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

––प्रतिवादीगण

वाद घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0ए0 व 136 एल.आर.एक्ट)

उपस्थिति – **श्री हरीश कुमार साहू**
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री दिनेश कुमार
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 6
प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 24/02/2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि "आधार सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 27 के आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 1.9100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

119 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 2.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171 रकबा 1.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 1.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 1.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 1.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 27 कुल रकबा 21.5700 हैक्टेयर वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित हैं जिसमें वादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा है। इसके अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त सीजरा अनुसार पक्षकारान एक ही सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं मोती के वंशज है जिनका मोती के वारिस छीतर, हरिराम, हरिनारायण के समय से ही 1/3 –1/3 हिस्सा चलता आ रहा है। पक्षकारान ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजीयात को मौके पर बांट ली थी। पर्चा सैटलमेन्ट के समय सम्वत 2011 में विवादित आराजीयात पक्षकारान के पूर्वज मोती के नाम आयी थी जिसके हाल खसरा नम्बर मिलान क्षैत्रफल से साबित हैं पक्षकारान ने मोती की फौती पर विवादित आराजीयात को बांट दिया था तथा मौके पर तब से सीर मैर करके काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं विवादित आराजीयात पर किसी अन्य का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। विवादित आराजीयात के अलावा मोती के परिवार में अन्य खातेदारान के भी पर्चा आया हैं विवादित आराजीयात को अन्य खातेदारान द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपना हिस्सा दर्ज करवा लिया था राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण में पक्षकारान का 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण में दर्ज कर दिया जबकि मोती के तीन पुत्र हुये हैं जिनका मोती के दर्ज हिस्से में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) चूरू

1/3–1/3–1/3 दर्ज होना चाहिये। इस तरह से विवादित आराजीयात में भी छीतर, हरिराम, हरिनारायण के वारिस का भी 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात सम्पूर्ण में तीनों भाईयों हरिराम, के अलावा अन्य भाईयो के वारिसान का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया हैं जबकि पैरा संख्या 1 में वर्णित के अनुसार पक्षकार का हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। उक्त हिस्सा गलत दर्ज होने से पक्षकार की नियत में खोट उत्पन्न हो गया हैं प्रतिवादीगण को जब पक्षकारान का सही दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु जमीन की किमते बढ जाने के कारण नियत में खोट उत्पन्न हो गयां अन्तिम बार दिनांक 25.11.2020 को शुद्व करवाने से इन्कार कर दिया व आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को बैचान कर बेदखल करने की धमकी दी है। इसलिए यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का फरमाये जावे की पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखलबाजी न करें न बेदखल करें न अन्य से करावें। निर्णय एवं डिक्री की पालनार्थ तहरीर तहसीलदार जी मौजमाबाद को भिजवायी जावे एवं अमल दरामद कर पालनार्थ रिपोर्ट भिजवायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 01/02/2021 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 6 की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, पर्चा सैटलमेन्ट, मिलान क्षैत्रफल तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मिलान क्षैत्रफल से साबिक खसरा नम्बरान से नये खसरा नम्बरान बनना पाये

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) दूदू

जाते हैं। विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान का पर्चा सम्वत 2017 में मोती पुत्र नानू के नाम से हिस्सा 1/2 का आना पाया जाता हैं। मुताबिक सिजरा मोती पुत्र नागू के तीन पुत्र छीतर, हरिराम, हरिनारायण है इसलिये मोती की फौती पर तीनों के नाम से बराबर–बराबर दर्ज हो गयी जो जमाबन्दी सम्वत 2047 सें 2050 से भलींभांति साबित है, लेकिन इसके पश्चात इनके वारिशान के नाम से 1/3–1/3–1/3 हिस्से अनुसार सही रूप से दर्ज नही कर सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा लगाया जाना पाया जाता है, जबकि कानूनन सिजरा अनुसार जरिये विरासतन हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ल. 6 माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये एवं प्रकरण में राजीनामा पेश करवादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जतायी हैं। ऐसी स्थिति में यह पाया जाता है कि वादी अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में वादी को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादीसंख्या 4 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 को 1/12 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 6 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 27 के आराजी खसरा नम्बर 100, 118, 119, 120, 121, 122, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 190, 191, 213, 214, 97, 98, 99 कुल किता 27 कुल रकबा 21.5700 हैक्टेयर वाके ग्राम खुड़ियाला, तहसील मौजमाबाद में वादी को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादीसंख्या 4 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 को 1/12 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 6 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम डीडवाना

व इजलास : श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत RAS

रघुनाथ पुत्र धीरा जाति जाट नि० खुडियाला तह० मौलासर (डीडवाना) बनाम नानूराम, सुखदेव, श्रवण पुत्रान धीरा जाति जाट नि० खुडियाला तह० मौलासर व अन्य

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 133 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरि कुमार साहू

व हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रूबरू श्री दिनेश कुमार प्रति० नं० 1 से 6

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वादी का वाद बरवे राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता नं 27 के आराजी ख० नं० 117, 118, 119, 120, 121, 122, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 190, 191, 213, 214, 97, 98, 99 कुल किता 27 कुल रकबा 21.5700 हे० वाके ग्राम खुडियाला तह० मौलासर में वादी को 1/24 हिस्से का, प्रति० नं० 1 को 1/24 हिस्से, प्रति० नं० 2 को 1/24 हिस्से का, प्रति० नं० 3 को 1/24 हिस्से का, प्रति० नं० 4 को 1/6 हिस्से का, प्रति० नं० 5 को 1/12 हिस्से का, प्रति० नं० 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

रकम ... मुबलिग ... मालिय ...

और इस मुकदमे के खर्चे ... तारीख अदायगी तक ... की अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 02 सन् 2021 को

जारी की गई।

दस्तखत

मुहर (सहायक कलक्टर ... डीडवाना) हाकिम सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) डीडवाना

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजाह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का बाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।